विलोपित विलोपित विलोपित

**समक्ष माननीय न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र.**

प्रकरण क्र. /2014-15 निगरानी R 8-III/15

1- साहिद खाँ पुत्र काले खाँ,

2- जाहिद खाँ पुत्र काले खाँ, मुसलमान, समस्त निवासीगण- ग्राम कारौठा, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

श्री डी-एस-कुशवाह, अभि. द्वारा आज दि. 1-1-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-1-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Presented by
1.1.2015
D.S Kushwaha Ad.

**.......आवेदकगण**

बनाम

1- संजीदा बेगम पत्नी काले खाँ निवासी- ऐक्सचेंज के पास, करैरा, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

2- काले खाँ पुत्र नबाव खाँ, निवासी- करैरा, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

**.......अनावेदकगण/रेस्पोंडेंट्स**

**निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 विरुद्ध प्रकरण क्र./255/2009-10/अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, करैरा म.प्र. आदेश दिनांक 28.09.2011 एवं नोटिस दिनांक 10.12.2014 क्र./क्यू/रीडर/तहसील/अमल/2014/1661 न्यायालय तहसीलदार करैरा, जिला शिवपुरी म.प्र.**

माननीय महोदय,

सेवा में आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है:-

**प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 8–तीन/15 जिला शिवपुरी

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 9–7–2015 | आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदकगण की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–9–2011 एवं तहसीलदार द्वारा पटवारी को लिखे पत्र दिनांक 10–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं है, क्योंकि यदि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28–9–2011 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत किया जाना मान्य किया जाता है, तब यह निगरानी लगभग 3 वर्ष विलंब से प्रस्तुत की गई है और यदि यह निगरानी तहसीलदार के पत्र दिनांक 10–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत किया जाना मान्य किया जाता है, तब तहसीलदार का पत्र प्रशासकीय पत्र है, जिसके विरूद्ध निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त निगरानी विलंब से प्रस्तुत किये जाने के कारण आवेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना था, जो कि प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस प्रकार यह निगरानी प्रथम दृष्टया विधि विपरीत प्रस्तुत किये जाने एवं अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है ।<br><br>(मनोज गोयल)<br>अध्यक्ष | |